न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 844 / 2022

अनवान : –

1. मुकेश कुमार पुत्र मु0 देवीलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मेहरचन्द पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. विमला देवी पत्नी मेहरचन्द जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
3. कानिका पुत्री मेहरचन्द जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 18/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता संख्या 111/110 की कुल 8.7120 हैक्ट भूमि में से 3/14 हिस्सा भूमि देवीलाल पुत्र बीरबल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

देवीलाल पुत्र बीरबल ने दिनांक 09.02.2016 को वादी को गोद लिया था तथा गोदनामा दिनांक 09.02.2016 को वादी के प्राकृतिक माता पिता की सहमति से एवं देवीलाल की उपस्थिति में सब रजिस्ट्रार खुंईया से दो गवाहन की उपस्थिति रजिस्टर्ड करवा दिया था एवं वादी को बाल्यकाल में ही गोद ले लिया था उस समय वादी की उम्र 2 साल थी एवं वादी को सामाजिक रिति रिवाज से गोद देने की रस्म पूरी की थी तथा अपने समान के समक्ष उत्तक ग्रहण कर लिया था।

देवीलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन गिराजसर तहसील नोहर दिनांक 04.11.2016 को फौत हो चुका है उनकी फौतदगी के बाद उनके नाम दर्ज भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है इसलिए रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता संख्या 111/110 की कुल 8.7120 हैक्ट भूमि में से 3/14 हिस्सा भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। इन्ही आशयों की वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 ता 3 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दे जो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2071–74 रोही मौजा गिराजसर खाता संख्या 111/110, चित्रप्रति रजिस्टर्ड गोदनामा, वारिसान प्रमाण पत्र बहक देवीलाल, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देवीलाल पुत्र बीरबल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है देवीलाल पुत्र बीरबल का देहान्त हो चुका है देवीलाल पुत्र बीरबल ने दिनांक 09.02.2016 को वादी को गोद लिया था तथा गोदनामा दिनांक 09.02.2016 को वादी के प्राकृतिक माता पिता की सहमति से एवं देवीलाल की उपस्थिति में सब रजिस्ट्रार खुंईया से दो गवाहन की उपस्थिति रजिस्टर्ड करवा दिया था एवं वादी को बाल्यकाल में ही गोद ले लिया था अतः उक्त वाद भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता संख्या 111/110 की कुल 8.7120 हैक्ट भूमि में से 3/14 हिस्सा भूमि देवीलाल पुत्र बीरबल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि देवीलाल पुत्र बीरबल ने दिनांक 09.02.2016 को वादी को गोद लिया था तथा गोदनामा दिनांक 09.02.2016 को वादी के प्राकृतिक माता पिता की सहमति से एवं देवीलाल की उपस्थिति में सब रजिस्ट्रार खुंईया से दो गवाहन की उपस्थिति रजिस्टर्ड करवा दिया था एवं वादी को बाल्यकाल में ही गोद ले लिया था अतः उक्त वाद भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। वादी द्वारा चित्रप्रति रजिस्टर्ड गोदनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पेश की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता संख्या 111/110 की कुल 8.7120 हैक्ट भूमि में से 3/14 हिस्सा भूमि देवीलाल पुत्र बीरबल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में मृतक देवीलाल पुत्र बीरबलराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:51 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 844 / 2022
अनवान : –

1. मुकेश कुमार पुत्र मु0 देवीलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. मेहरचन्द पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. विमला देवी पत्नी मेहरचन्द जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
3. कानिका पुत्री मेहरचन्द जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 844 सन 2022 निर्णय दिनांक –18/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता संख्या 111 / 110 की कुल 8.7120 हैक्ट भूमि में से 3 / 14 हिस्सा भूमि देवीलाल पुत्र बीरबल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में मृतक देवीलाल पुत्र बीरबलराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:51 IST
Reason: SelfAttested